मध्य प्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 16–06–2017

क्रमांक एफ 2–34/2014/जसं/24, :– राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को सहायक संचालक, जनसंपर्क के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, तथा उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए स्थान/कार्यालय में पदस्थ करता है:–

क्र0	रोल नंबर	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1.		2.	4.	5
1.	298062	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	अनारक्षित	जिला जनसंपर्क कार्यालय सीधी
2.	171484	सुश्री प्रियंका शर्मा	अनारक्षित	जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना
3.	219126	सुश्री सफलता दुबे	अनारक्षित	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर
4.	102419	सुश्री दीपाश्री गुप्ता	अनारक्षित	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर
5.	349891	श्री अंकुश मिश्रा	अनारक्षित	जिला जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर
6.	238407	सुश्री जकिया रुही	ओबीसी	मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र दिल्ली
7.	282427	सुश्री नीलिमा नंदकिशोर धाकड़	ओबीसी	जिला जनसंपर्क कार्यालय होशंगाबाद
8.	252679	श्री अविनाश नागले	अनुसूचित जाति	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय मंडला
9.	194050	श्री राहुल वासनिक	अनुसूचित जाति	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय सागर
10.	224320	श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौधरी	अनुसूचित जाति	जिला जनसंपर्क कार्यालय बुरहानपुर
11.	239570	श्री आशिष कुमार कोटांगले	अनुसूचित जाति	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय जबलपुर
12.	134929	श्री ईश्वर लाल चौहान	ओबीसी	जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर
13.	258832	सुश्री अनुभा सिंह	अनुसूचित जनजाति	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय उज्जैन

2. चयनित उम्मीदवार की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की मुख्य चयन सूची के अनुसार रहेगी।

3. मध्यप्रदेश जनसंपर्क (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम 1966 (संशोधित) नियम 19 के तहत सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगी। इस अवधि में संबंधित व्यक्ति को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने तथा परिवीक्षा अवधि बढ़ने की स्थिति में नियमित नियुक्ति की अगली वेतनवृद्धि की पात्रता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही होगी।

निरंतर......2

4. नियुक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा।

5. अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित व्यक्तियों को आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है, अतः इन्हें उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. नियुक्त अधिकारी का स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जनसंपर्क (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम 1966 (संशोधित) के अंतर्गत शासित होगी।

7. मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई तथा स्थाई सेवा) नियम, 1966 के नियम 12 के अनुसार "सेवाएं" किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेंगी।

8. नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन भत्तों का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपयुक्त शर्त (7) के अंतर्गत देय रकम संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

9. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1–1–2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जायें और उन्हें लागू किये जायें, के अध्याधीन रहेंगे।

10. पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, छायाप्रतियां सत्यापित कराना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिया जायेगा।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र (किसी अन्य विभाग/निगम/मण्डल में नियुक्त होने की स्थिति में) व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में यदि नियुक्ति पश्चात् कोई दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

12. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

निरंतर......3

13. नियुक्त किये गये व्यक्ति को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एच0एल0चौधरी)
अपर सचिव
म0प्र0शासन, जनसंपर्क विभाग
भोपाल, दिनांक 16 –06–2017

पृष्ठां0क्रमांक एफ. 2–34/2014/जसं/24
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर/भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, डेली कालेज रोड, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 108/94/2016/चयन, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में प्रेषित।
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल की ओर तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. आयुक्त, संभाग–रींवा, चंबल संभाग मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, उज्जैन (म0प्र0)
5. कलेक्टर, जिला–सीधी, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, अनूपपुर, होशंगाबाद, मंडला, सागर, बुरहानपुर, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन (म0प्र0)
6. अपर संचालक/संयुक्त संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय– रींवा, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, मण्डला, जबलपुर, सागर, उज्जैन (म0प्र0)
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र दिल्ली।
8. संयुक्त संचालक, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
9. उप संचालक/सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय– सीधी, मुरैना, अनूपपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, मंदसौर (म0प्र0)
10. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल (म0प्र0)
11. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय– सीधी, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, अनूपपुर, होशंगाबाद, मंडला, सागर, बुरहानपुर, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन (म0प्र0)
12. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

13. संबंधित

की ओर रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. स्टॉक फाईल।

अपर सचिव
म0प्र0शासन, जनसंपर्क विभाग